उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2011)

THE UTTAR PRADESH BOARD FOR DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FINANCIAL RESOURCES ACT, 2011

(U.P. Act No. 11 of 2011)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2011)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित एवं भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की गयी तथा उ0प्र0 सरकारी गजट असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2011 को प्रकि ात हुआ।]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2–(1) इस अधिनियम में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,–

(क) ''बोर्ड'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड से है;

(ख) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य बोर्ड का अध्यक्ष और उसके विभागाध्यक्ष से है;

(ग) ''सदस्य'' का तात्पर्य पदेन सदस्य से भिन्न बोर्ड के किसी सदस्य से है;

(घ) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के अधीन गठित किसी नगर निगम अथवा नगर पालिका परिषद अथवा किसी नगर पंचायत से है;

(ड.) ''नगर पालिका अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है;

(च) ''सम्पत्ति कर'' का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम के अधीन भूमि और भवनों पर उद्ग्रहीत सम्पत्ति कर से है;

(छ) ''विनियम'' का तात्पर्य धारा–37 के अधीन बनाये गये विनियमों से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि नगर पालिका अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना

3–धारा–4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक से, नगर पालिका अधिनियमों के उपबन्ध अथवा इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी मामले से सम्बन्धित कोई अन्य विधि इस अधिनियम के उपबन्धों की सीमा तक उपांतरित हुए समझे जायेंगे।

अध्याय–दो

बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना

4–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना करेगी।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा।

(3) बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

बोर्ड की संरचना

5–(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे और निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(2) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 25 वर्षों से अन्यून का प्रशासनिक अनुभव हो और राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव अथवा उसके समकक्ष शहरी प्रशासन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखने वाले किसी अन्य पद को अवश्य धारित कर चुका हो।

(3) सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहरी सम्पत्तियों का मूल्यांकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारित किया हो।

(4) बोर्ड ऐसे कर्तव्यों के प्रयोग और निर्वहन के लिए अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन ऐसी रीति से जैसा कि विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, एक सचिव की नियुक्ति करेगा।

(5) अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य पॉच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेंगे और वेतन तथा भत्तों सहित उनकी सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं :

परन्तु यह कि पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या कोई सदस्य पद धारित नहीं करेंगे।

(6) नियुक्ति के पश्चात् अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(7) बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा।

(8) अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(9) जहॉ अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, पद त्याग अथवा किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है अथवा जहॉ अध्यक्ष के पद की रिक्ति होती है, वहां इस हेतु अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य और ऐसे नाम निर्देशन की अनुपस्थिति में या जहॉ कोई अध्यक्ष नहीं है, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुना गया कोई सदस्य, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(10) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह हो जायेगा, यदि वह/उसने :–

(क) दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया है; या

(ग) नैतिक अधमता से युक्त किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध और कारावास के लिए दण्डित किया गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जो अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में उसके कृत्यों को प्रभावित करने वाला हो; या

(ङ) अपनी स्थिति का इस रूप में दुरूपयोग किया हो जिससे कि लोकहित में उसके पद पर बने रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

(च) संसद या किसी राज्य विधान सभा या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी है; या

(छ) किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य है या रहा है अथवा उसमें कोई पद धारित किया है अथवा करता है।

(11) राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य केवल अपने पद से सिद्ध कदाचार के आधार पर या उपधारा (10) के खण्ड (ख) खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष नियुक्त अधिकारियों में से तीन जॉच अधिकारियों के पैनल द्वारा राज्य सरकार द्वारा उनको किये गये संदर्भ पर की गयी जॉच और राज्य विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से सेवा से हटाने के लिए सूचित किया गया हो कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किन्हीं आधारों पर सेवा से हटा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

6–(1) मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त करेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति पद धारण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, प्रतिज्ञान की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्तलिखित में अपना पद त्याग सकता है।

बोर्ड के कर्मचारी वृन्द

7–(1) बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऐसे पद सृजित करेगा और ऐसे पदों पर ऐसी रीति से नियुक्तियां करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारीवृन्द का वेतन और भत्तों सहित सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विनियमावली में निर्धारित की जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ, बोर्ड किसी नगर पालिका के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में संदर्भित कर्मचारीवृन्द अध्यक्ष के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में होंगे जो उनका नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

संगठन

8–(1) बोर्ड तीन या चार शाखाओं यथा, प्रशासनिक शाखा, मूल्यांकन शाखा, और अनुसंधान तथा विश्लेषण क्रिया–कलाप शाखा और ऐसी अन्य शाखाओं में जो आवश्यक हो संगठित किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड राज्य में समुचित कर्मचारिवृन्द युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों को कियान्वित करने हेतु बोर्ड समय–समय पर यथा अपेक्षित अपनी शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर सकता है।

विधिमान्यकरण

9–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड के गठन में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने अथवा दोष के आधार मात्र पर ही बोर्ड की कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी अथवा अन्यथा प्रश्नगत नहीं की जायेगी।

अध्याय–तीन

बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और प्रक्रिया

बोर्ड के कृत्य

10–बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) विभिन्न नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करना और राजस्व के भिन्न–भिन्न संसाधनों की कार्य क्षमता का निर्धारण करना जिससे कि इसमें अभिवृद्धि की जा सके और ऐसे नये साधनों को भी सृजित किया जा सके।

(ख) राज्य में नगर पालिकाओं की सभी सम्पत्तियों को प्रगणित करना या प्रगणित कराना और एक डाटा बेस तैयार करना।

(ग) सम्पत्ति और जल कर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और सम्पत्तियों के मूल्यांकन तथा नगर पालिकाओं की गैर कर मदों और कर की दरों हेतु उपयुक्त आधार सुझाना;

(घ) नगर पालिकाओं में सम्पत्तियों के मूल्यांकन, उनके सत्यापन के लिए निरीक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया को अभिकल्पित करना तथा सूत्रपात करना;

(ड.) केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय निकायों और छूट प्राप्त सम्पत्तियों सहित राज्य की नगर पालिकाओं में समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना या कराना;

(च) आवर्तिक पुनरीक्षण के लिए तौर तरीके संस्तुत करना;

(छ) सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीत करना;

(ज) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना के लिए मूल्यांकनों का सुलभ प्रकटीकरण करना;

(झ) राज्य सरकार के सरकारी गजट में वार्षिक कार्य योजना प्रकाशित करना;

(ञ) नगर पालिकाओं के लिए सम्पत्तियों के मूल्यांकन और नगर पालिका राजस्व की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सलाह देना जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यम से नगर पालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

(ट) भूमि और भवनों के मूल्यांकन में विशेषज्ञता के विकास सहित प्रयोगकर्ता प्रभारों, संसाधन पैदा करने और उसके मूल्यांकन के क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों को निष्पादित करना जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यमों से नगर पालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

बोर्ड की कार्यवाहियां

11–राज्य के भीतर बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे और विनियमावली के अनुरूप इस निमित्त बनायी गयी, अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

नगर पालिका का उत्तरदायित्व

12–(1) जब बोर्ड से कोई सूचना, विवरणी, विवरण, अभिलेख, दस्तावेज या रजिस्टर या कोई अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाय, तो नगर पालिका उसे इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपलब्ध करायेगा।

(2) जब बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाय तो इसके कृत्यों के निष्पादन के लिए कोई नगर पालिका बोर्ड का पूर्णरूपेण सहयोग और सहायता करेगी।

(3) जहाँ कोई नगर पालिका उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी निदेश का अनुपालन करने में किसी भी कारण से असफल रहती है, वहाँ बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा उस नगर पालिका को न्यागत किये जाने वाले वित्तीय अन्तरणों के एक भाग को, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत से अधिक न हो, दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए रोकने के लिए उस नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। यदि नगर पालिका तब भी इस सम्बन्ध में संतोषजनक आश्वासन देने या उसे उपलब्ध कराने में असफल रहती है, तो बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी रोक की संस्तुति कर सकता है, जिस पर राज्य सरकार उक्त अवधि के लिए ऐसे वित्तीय अन्तरणों को रोक लेगी :

परन्तु जहां नगर पालिका बाद में ऐसे निदेश का अनुपालन करती है, वहां राज्य सरकार ऐसे अनुपालन से संतुष्ट हो जाने पर इस प्रकार रोके गये वित्तीय अन्तरणों को अवमुक्त कर देगी।

13–(1) किसी भूमि अथवा भवन का प्रत्येक स्वामी अथवा अधिभोगी बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे विवरणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जैसा कि विहित किया जाय, विवरण दाखिल करेगा। विवरण दाखिल करने और देनदारी को प्रकट करने का दायित्व

(2) बोर्ड, सामान्य या विनिर्दिष्ट संसूचना द्वारा किसी नगर पालिका के निवासी से निम्नलिखित को सुनिश्चित करने हेतु ऐसी सूचना और विवरण जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षा कर सकता हैः–

(क) क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम या किसी नगर पालिका अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अधिरोपित कर या किसी प्रभार या किसी शुल्क का भुगतान करने का दायी है;

(ख) किस धनराशि पर उसका मूल्यांकन किया जाय;

(ग) उसके द्वारा अधिभुक्त भवन या भूमि का वार्षिक मूल्य और स्वामी का नाम और पता;

(घ) कोई अन्य सूचना जो उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने या कर, प्रभार या शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए आवश्यक हो।

14–ऐसा कोई व्यक्ति, जो– अपराध एवं शास्तियाँ

(एक) यथा अपेक्षित विवरण दाखिल करने में विफल रहता है; या

(दो) मांगी गयी सूचना और विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा और ऐसे जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है और जब अपराध निरन्तर जारी हो, ऐसे जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा जो प्रतिदिन पाँच सौ रुपये तक हो सकता है।

15–(1) बोर्ड ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध किये जाने की युक्तियुक्तपूर्वक आशंका हो, प्रशमन शुल्क के रूप में बीस हजार रुपये से अनधिक की धनराशि स्वीकार कर सकता है और अपराध को प्रशमित कर सकता है; अपराधों का प्रशमन

(2) किसी अपराध के प्रशमन पर ऐसे अपराध के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेंगी या निरन्तर जारी नहीं रखी जायेंगी और यदि उसके विरुद्ध उस अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही पहले ही निषिद्ध कर दी गयी हो तो प्रशमन स्वरूप उसे दोषमुक्त कर दिया जायेगा।

16–कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित शिकायत के सिवाय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। अपराधों का संज्ञान

17–(1) राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा उस नगर पालिका को विनिर्दिष्ट करेगी जहाँ यथास्थिति नगर पालिका अधिनियमों अथवा ऐसी नगर पालिका में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों, जहाँ तक वे वार्षिक मूल्यांकन के अवधारण से सम्बन्धित हों, के अनुसार भूमि और भवनों का सामान्य मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जायेगाः मूल्यांकन का अवधारण और उसकी अवधि

परन्तु यह कि बोर्ड ऐसी शर्तों, जैसा कि विहित किया जाय, के अध्यधीन अपने अधीक्षण, निदेश और नियंत्रणाधीन ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर जैसा कि वह अवधारित करे, यथापूर्वोक्त रूप में नगर पालिका में भूमि और भवनों का सामान्य मूल्यांकन कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मूल्यांकन को बोर्ड द्वारा किया गया समझा जायेगा।

(2) बोर्ड द्वारा किया गया मूल्यांकन ऐसे दिनांक से प्रभावी हो जायेगा जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे और वह ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा तथा इसके पश्चात् उसे पाँच वर्षों की क्रमिक अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षित किया जायेगाः

परन्तु यह कि किसी नगर पालिका में भूमि या भवन का मूल्यांकन नगर पालिका अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अवधि के दौरान किसी नये भवन का परिनिर्माण किया जाता है या नगर पालिका के किसी क्षेत्र में किसी विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण किया जाता है या इसका मौलिक रूप से बदलाव या उसमें सुधार किया जाता है तो ऐसे परिसरों के मूल्यांकन का अवधारण उसी मानदण्ड के अध्यधीन किया जायेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा ऐसे परिसरों के निमित्त नियत किया गया है और इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि स्वामी या अधिभोगी द्वारा विशिष्टियों का पूर्ववर्ती अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करने पर तात्कालिक मूल्यांकन का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाय।

(4) नगर पालिका ऐसे समय, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर बोर्ड को अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत परिनिर्मित समस्त नये भवनों की सूची और निर्मित या मौलिक रूप से परिवर्तित या सुधार किये गये समस्त विद्यमान भवनों की भी सूची प्रेषित करेगा।

(5) सम्पत्तियों का नामान्तरण नगर पालिका द्वारा नगर पालिका अधिनियमों या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा किन्तु सम्बन्धित अभिलेख सहित नामान्तरण की सूचना, बोर्ड को नामान्तरण करने वाले अधिकारी द्वारा नामान्तरण के सात दिन के अन्तर्गत दी जाएगी।

प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का प्रकाशन

18–(1) जब किसी नगर पालिका की भूमि और भवनों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा कर लिया जाय तो वह ऐसी मूल्यांकन सूची तैयार करायेगा और सम्पत्ति कर एवं अन्य करों की धनराशि सूची में दर्ज करायेगा।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची को प्रकाशित करेगा और ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के प्रति आपत्ति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया जा सके।

(3) आपत्तियाँ ऐसी रीति से दाखिल की जा सकती है जैसा कि विहित किया जाय।

मूल्यांकन पर आपत्तियों की सुनवाई

19–धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक की समाप्ति के पश्चात् और तत्पश्चात् ऐसी अवधि, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में किसी प्रकार की आपत्ति का अवधारण, आवेदक को ऐसे व्यक्तियों, जैसा कि इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, किया जायेगा।

अन्तिम मूल्यांकन सूची का प्रकाशन

20–जब धारा 19 के अधीन आपत्तियों, यदि कोई हों का निस्तारण कर लिया जाय तो बोर्ड एक अन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार करेगा और ऐसे स्थान/स्थानों जहाँ पर ऐसी सूची का निरीक्षण किया जाय, के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना देगा और अन्तिम मूल्यांकन सूची में उस पर यथाअभिलिखित सम्पत्ति कर की धनराशि का मूल्यांकन अन्तिम होगा और किसी आपत्ति की पुनः सुनवाई नहीं होगी।

मूल्यांकन का पुनरीक्षण

21–धारा 20 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, किसी स्वामी या अधिभोगी या नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी प्रार्थना पत्र के आधार पर या स्वप्रेरणा से और तद्निमित्त कारण अभिलिखित किये जाने के पश्चात् पूर्व में किये गये किसी मूल्यांकन को पुनरीक्षित कर सकता है।

बोर्ड की शक्तियाँ

22–बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान ऐसे किसी दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद का विचारण करती हो :–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन भेजना और उसको उपस्थिति के लिए विवश करना और उसका शपथपूर्वक परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज करने और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) परिसर का निरीक्षण करने तथा साक्ष्य और दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करना;

(च) ऐसे अन्य मामले, जैसे कि विहित किये जायं;

23–राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हो। निदेश जारी करने की शक्ति

24–बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी परिसर में इस रीति से प्रवेश कर सकता है या उसमें दाखिल हो सकता है जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विहित किया जाय। भूमि या भवन में प्रवेश और उसके निरीक्षण की शक्ति

25–इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्यवाही अपील किये जाने योग्य नहीं होगी और किसी दीवानी न्यायालय के पास ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी जिसके लिये बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिश्चय करने के लिए अधिकार प्राप्त हो। अधिकारिता का वर्जन

अध्याय–चार

लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

26–(1)राज्य सरकार इस निमित्त विधि के माध्यम से राज्य विधान मण्डल द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु उचित समझे। राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान

(2) बोर्ड ऐसी धनराशि को व्यय कर सकता है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिये उचित समझे, और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा और वह बोर्ड के व्यय के निमित्त नगर पालिकाओं और अन्य से शुल्क भी प्रभारित कर सकता है।

27–(1) बोर्ड समुचित लेखा और सुसंगत अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगा और एक वार्षिक लेखा विवरण यथाविहित रूप में तैयार करायेगा। लेखा और लेखा परीक्षा

(2) धारा 26 के अधीन अनुदानों से भिन्न स्रोतों से पुनरीक्षण का विनियमन इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा किया जायेगा।

(3) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उपगत किसी व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा महालेखाकार को किया जायेगा।

(4) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड के वार्षिक लेखा विवरण की प्रतियों को राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड की वार्षिक लेखा विवरण की प्रति को राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

28–(1) बोर्ड वर्ष के दौरान अपने क्रिया–कलापों की वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विहित किया जाय, तैयार करेगा और उसकी प्रतियों को राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा। वार्षिक रिपोर्ट

(2) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

29–(1)–यदि धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी नगर पालिका से बोर्ड को देय धनराशि का भुगतान विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो बोर्ड उक्त मामलें को राज्य सरकार को संदर्भित कर सकता है और राज्य सरकार बोर्ड को उक्त धनराशि का भुगतान कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को संदेय किन्हीं वित्तीय अन्तरणों से उक्त धनराशि की कटौती करने के पश्चात् भुगतान कर सकती है। बोर्ड को देय धनराशि की वसूली

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना बोर्ड को संदेय किसी धनराशि की वसूली बोर्ड के सचिव के प्रमाण–पत्र के आधार पर भूराजस्व के रूप में की जा सकती है।

30–बोर्ड द्वारा बैठक हेतु उपगत व्यय, अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और बोर्ड के अधीन या उसके लिये कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक व्यय सहित वेतन और भत्तों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में से किया जायेगा। आकस्मिक व्यय सहित वेतन और भत्तों के आधार पर उपगत व्यय

अध्याय–पॉच

प्रकीर्ण

31–बोर्ड अपने संकल्प द्वारा वित्तीय शक्ति सहित अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन धारा–7,8 और 37 के शक्तियों के सिवाय, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या बोर्ड के किसी अधिकारी को कर सकता है। बोर्ड द्वारा शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन

32–बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक माने जायेंगे। अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोकसेवक होंगे

33–इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों या आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी। सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के प्रति सुरक्षा

34–बोर्ड ऐसी अर्हता और प्रभारों सहित निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, के अध्यधीन किसी व्यक्ति को मूल्यांकनकर्ता या सर्वेक्षक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। मूल्यांकनकर्ताओं और सर्वेक्षकों का पंजीकरण

35–बोर्ड के लिये जारी किये जाने या उसके तामील किये जाने के लिये अपेक्षित या आशयित समस्त नोटिसों और प्रक्रियाओं को बोर्ड के सचिव को तामील कराया जायेगा। नोटिस इत्यादि का तामील किया जाना

36–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार ऐसे किसी मामलें, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो अपेक्षित या विहित हों, के सम्बन्ध में नियम बना सकती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियमों को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

37–(1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकता है। विनियम बनाने की शक्ति

(2) राज्य सरकार ऐसा अनुमोदन देते समय उनमें ऐसा परिवर्द्धन, परिवर्तन और उपान्तरण कर सकती है जैसा कि वह उचित समझेः

परन्तु यह कि ऐसा परिवर्द्धन, परिवर्तन या उपान्तरण करने के पूर्व राज्य सरकार बोर्ड को दो माह से अनधिक की ऐसी अवधि, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, के भीतर उस पर विचार करने के लिए अवसर प्रदान करेगी।

(3) बोर्ड द्वारा बनाये गये और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये समस्त विनियमों का प्रकाशन गजट में किया जायेगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की भाक्ति

38–(1) यदि इस अधिनियम में अन्तर्विश्ट किसी बात के कारण या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमन के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार जैसी परिस्थिति हो, आदे ा द्वारा यह निदे ा दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसी अवधि के दौरान जो इस आदे ा के दिनांक के बाद बारह मास से अधिक न हो, ऐसे अनुकूलनों चाहे रूपान्तर व परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, के अधीन रहते हुये जो उसे आव यक या समीचीन प्रतीत हो, प्रभावी रहेगाः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्श की अवधि की समाप्ति के प चात् उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदे ा नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदे ा को उसके किये जाने के प्श्चात् यथाशक्य ाीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदे ा को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्र नगत नहीं किया जायेगा कि ऐसी कोई कठिनाई जैसा कि उस उपधारा में निर्दिश्ट हो, विद्यमान नहीं थी अथवा उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नहीं था।

उद्‌देश्य और कारण

भारत के 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका संसाधन विकास बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष, चार अन्य सदस्य और एक पदेन सदस्य होंगे, की स्थापना और उसके निगमन की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय। बोर्ड के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विभिन्न नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करना और राजस्व के विभिन्न स्रोतों की दक्षता का मूल्यांकन करना जिससे कि इसमें वृद्धि की जा सके और ऐसे नए स्रोतों का भी सृजन किया जा सके ;

(ख) राज्य में नगर पालिकाओं की सभी सम्पत्तियों की गणना करना या गणना कराना और एक डाटाबेस विकसित करना ;

(ग) सम्पत्ति और जलकर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और नगर पालिकाओं की सम्पत्तियों का मूल्यांकन तथा कर की दरों और करेत्तर मदों के लिए उपयुक्त आधार सुझाना ;

(घ) सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया को अभिकल्पित करना और सूत्रपात
करना ;

(ङ) सम्पत्ति कर विवादों का न्याय–निर्णयन करना ;

(च) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना करने के लिए मूल्यांकनों के प्रकटीकरण को सुगम बनाना।

तद्‌नुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।